भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2025

क्रमांक –571/मप्रविनिआ/2025 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181, सहपठित धारा 45(3)(ख) एवं धारा 46 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा दिनांक 31.05.2022 को अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–द्वितीय), विनियम 2022, जिसे एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–द्वितीय), विनियम 2022 में प्रथम संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–द्वितीय), विनियम 2022 (प्रथम संशोधन) {एआरजी–31(II)(एक), वर्ष 2025}"** कहलायेंगे।

(2) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्रों में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

2. विनियम 2 में संशोधन :

2.1 **मूल विनियम के विद्यमान विनियम 2.1(ग) के पश्चात् नवीन विनियम 2.1(ग1) स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"2.1(ग1) "उपभोक्ता (Consumer)" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसे एक अनुज्ञप्तिधारी (licensee) या अधिनियम या अन्य किसी प्रचलित विधि के अधीन आम जनता को विद्युत आपूर्ति के व्यवसाय में संलग्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है तथा इसमें ऐसा व्यक्ति भी

सम्मिलित है जिसका परिसर कुछ समय के लिये विद्युत की प्राप्ति के प्रयोजन से यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी के कार्यों, शासन या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से संयोजित किया किया गया है। कोई भी व्यक्ति :

(एक) निम्न दाब उपभोक्ता (LT Consumer) होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से निम्न वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो ;

(दो) उच्च दाब उपभोक्ता (HT Consumer) होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो ;

(तीन) अति उच्च दाब उपभोक्ता (EHT Consumer) होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से अति उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो;

2.2 **मूल संहिता के विद्यमान विनियम 2.1 (ज) के पश्चात् नवीन विनियम 2.1(ज1) स्थापित किया जाए, अर्थात् :–**

"2.1(ज1) **"विद्युतीकृत क्षेत्र (Electrified Area)"** से अभिप्रेत है कोई भौगोलिक क्षेत्र या उसका कोई भाग जो उक्त क्षेत्र के आवेदकों के आस–पास ऐसे आवेदकों की मांग के प्रबन्धन हेतु वितरण प्रणाली धारित करता है;"

2.3 **मूल विनियम के विद्यमान विनियम 2.1 (प) के पश्चात् नवीन विनियम 2.1(प1) स्थापित किया जाए, अर्थात् :–**

"2.1(प1) **"स्वीकृत भार (Sanctioned Load)"** का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में परिभाषित किया गया है ;"

2.4 **मूल विनियमों के विनियम 2.1 (य) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :–**

मूल विनियमों के विनियम 2.1(य) में शब्दों "संयोजित भार में वृद्धि हेतु" के स्थान पर शब्द "स्वीकृत भार/संविदा मांग में वृद्धि हेतु "स्थापित किये जाएं।

3. **विनियम 3 में संशोधन :**

3.1 **मूल विनियमों के विनियम 3.2 के स्थान पर विनियम 3.2 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"3.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति आवेदक को विद्युत की आपूर्ति प्रदान करने या विद्यमान निम्न दाब संयोजन के स्वीकृत भार/संविदा मांग में वृद्धि हेतु और विद्यमान उच्च दाब संयोजन हेतु संविदा मांग में वृद्धि हेतु आवेदक/उपभोक्ता से केवल आयोग द्वारा इन विनियमों के माध्यम से ही अनुमोदित प्रभारों की अग्रिम वसूली करेगा। किलोवाट (kW) से किलोवाट एम्पीयर (kVA) में परिवर्तन हेतु (तथा विपरीत क्रम से भी) ऊर्जा कारक (Power Factor) का मूल्य निम्न दाब संयोजनों (LT Connections) हेतु 0.8 तथा उच्च दाब संयोजनों (HT Connections) हेतु 0.9 लिया जाएगा। इन प्रभारों का पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर ही संयोजन को सेवाकृत किया जाएगा/भार में वृद्धि अनुज्ञेय की जाएगी।"

3.2 मूल विनियमों के विनियम 3.3 के स्थान पर विनियम 3.3 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"3.3 निम्न दाब संयोजनों हेतु यथास्थिति स्वीकृत भार (Sanctioned Load)/संविदा मांग (contract demand) में वृद्धि तथा उच्च दाब संयोजनों (HT Connections) हेतु संविदा मांग में वृद्धि के लिए संविदा मांग हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges) यथास्थिति कुल स्वीकृत भार/संविदा मांग हेतु निम्न दाब संयोजनों हेतु कुल संविदा मांग में से, तत्संबंधी स्लैबों के अन्तर्गत वृद्धि से पूर्व विद्यमान संयोजित भार/संविदा मांग को प्रयोज्य भार घटा कर की जाएगी, जैसा कि इन विनियमों में उपबंधित किया गया है :

परन्तु यह कि यदि यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अनुसार एक विशिष्ट स्तर पर अनुज्ञेय सीमा के परे किये गये स्वीकृत भार/संविदा मांग में वृद्धि करने के इच्छुक होने के कारण परिवर्तन का इच्छुक हो या फिर उच्चतर वोल्टेज पर परिवर्तन होने के इच्छुक हों जो कि उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं हेतु पात्रता रखता हो ऐसे उपभोक्ता को स्वीकृत भार/संविदा मांग हेतु ऐसी उच्चतर वोल्टेज स्तर पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का भुगतान करना होगा।"

3.3 मूल विनियमों के विनियम 3.4 के स्थान पर विनियम 3.4 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"3.4 निम्न दाब उपभोक्ताओं/आवेदकों हेतु भार का प्राक्कलन, जहां कहीं भी यह स्वीकृत भार आधारित विद्युत–दर के अधीन आवश्यक हो, का निष्पादन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसी आधार पर किया जाएगा जैसा कि समय–समय पर यथासंशोधित प्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में उपबन्धित किया गया है जो इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए होगा कि निम्न दाब (LT) पर कुल मांग किये गये भार समय–समय पर यथासंशोधित प्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार निम्न दाब हेतु निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक न होगा। तथापि निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में मांग–अवधारित विद्युत–दर (demand based tariff) के अधीन तथा समस्त उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु संविदा मांग उपभोक्ता/आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार होगी।"

4. विनियम 4 में संशोधन :

4.1 मूल विनियम के विद्यमान विनियम 4.1.4 के उपरान्त एक नवीन विनियम 4.1.4(क) अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"4.1.4(क) विद्युतीकृत क्षेत्र (electrified area) में, विकल्प के रूप में, उपरोक्त विनियम क्रमांक 4.1.1 से 4.1.4 में उल्लेखित लागतों तथा प्रभारों के भुगतान के बजाय उपभोक्ता/आवेदक को नवीन संयोजन/भार में वृद्धि का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्न प्रभार प्रति किलोवाट आधार पर जमा करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इन प्रभारों में सेवा तन्तुपथों (service lines) की लागत सम्मिलित होगी परन्तु ऊर्जा मापयन्त्र (energy meter) की लागत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता/आवेदक जो निम्न उल्लेखित प्रभारों के भुगतान हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करता हो, को वास्तविक आधार पर अधोसंरचना के व्ययों का भुगतान नहीं करना होगा। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता/आवेदक द्वारा निम्नानुसार निर्धारित प्रभारों का

भुगतान कर दिये जाने पर विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अधोसंरचना का विस्तार कर दिया जाएगा :—

सरल क्रमांक	स्वीकृत भार (Sanctioned Load)	विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges)
एक	गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का उपभोक्ता (BPL Consumer)/आवेदक, जिसका भार 500 वाट (w) तक हो	रू. 2,300/—
दो	समस्त उपभोक्ता/आवेदक जिनका भार 500 वाट (w) से अधिक है तथा 3 किलोवाट तक है, जिनमें उपरोक्त सरल क्रमांक (एक) के उपभोक्ता सम्मिलित नहीं है	1 (kW) तक — रू. 2,600/— 1 (kW) से अधिक 2 (kW) तक — रू. 3,000/— 2 (kW) से अधिक 3 (kW) तक — रू. 3,300/—
तीन	3 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 10 किलोवाट (kW) से अनाधिक	3 (kW) से अधिक 4 (kW) तक — रू. 4,300/— 4 (kW) से अधिक 5 (kW) तक — रू. 5,300/— 5 (kW) से अधिक 6 kW तक — रू. 6,300/— 6 (kW) से अधिक 7 (kW) तक — रू. 7,300/— 7 (kW) से अधिक 8 (kW) तक — रू. 8,300/— 8 (kW) से अधिक 9 (kW) तक — रू. 9,300/— 9 (kW) से अधिक 10 (kW) तक — रू. 10,300/—
चार	10 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 25 किलोवाट (kW) से अनाधिक	10 (kW) से अधिक 11 (kW) तक — रू. 12,800/— 11 (kW) से अधिक 12 (kW) तक — रू. 15,400/— 12 (kW) से अधिक 13 (kW) तक — रू. 17,900/— 13 (kW) से अधिक 14 (kW) तक — रू. 20,400/— 14 (kW) से अधिक 15 (kW) तक — रू. 22,900/— 15 (kW) से अधिक 16 (kW) तक — रू. 25,400/— 16 (kW) से अधिक 17 (kW) तक — रू. 28,000/— 17 (kW) से अधिक 18 (kW) तक — रू. 30,500/— 18 (kW) से अधिक 19 (kW) तक — रू. 33,000/— 19 (kW) से अधिक 20 (kW) तक — रू. 35,500/— 20 (kW) से अधिक 21 (kW) तक — रू. 37,800/— 21 (kW) से अधिक 22 (kW) तक — रू. 40,300/— 22 (kW) से अधिक 23 (kW) तक — रू. 42,800/— 23 (kW) से अधिक 24 (kW) तक — रू. 45,300/— 24 (kW) से अधिक 25 (kW) तक — रू. 47,900/—
पांच	25 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 50 किलोवाट (kW) से अनाधिक	रू. 47,900+रू. 4,200/— प्रति अतिरिक्त किलोवाट 3 या उसके किसी अंश हेतु, जिसके अनुसार संयोजित भार 25 किलोवाट (kW) से अधिक है
छः	50 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 150 किलोवाट (kW) से अनाधिक	रू. 10,000/— प्रति किलोवाट उसके किसी अंश हेतु

4.2 **मूल विनियम के विद्यमान विनियम 4.1.11 के उपरान्त एक नवीन विनियम 4.1.12 अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्** :

"4.1.12विद्युतीकृत क्षेत्र में, विकल्प के रूप में, विनियम 4.1.7 में उल्लेखित लागतों तथा प्रभारों के भुगतान के बजाय, उपभोक्ता/आवेदक को निम्न प्रभारों को प्रति किलोवाट आधार पर भार के नवीन संयोजन/वृद्धि का लाभ प्राप्त

करने हेतु आवेदन के साथ जमा करने का विकल्प होगा जिसे आवेदक(ों) द्वारा अधोसंरचना के विकास उपरान्त निष्पादित किया जाएगा जैसा कि विनियम 4.1.6 में इस बारे में उल्लेख किया गया है। इन प्रभारों में सेवा तन्तुपथों की लागत सम्मिलित है परन्तु ऊर्जा मापयन्त्र (energy meter) की लागत सम्मिलित नहीं है। निम्न उल्लेखित प्रभारों के भुगतान हेतु विकल्प देने वाला उपभोक्ता/आवेदक, भले ही यह 50 किलोवाट भार से अधिक अनुमानित भार हेतु लागू होता है, की आवश्यकता वितरण ट्रांसफार्मर तथा उच्च दाब तन्तुपथ विस्तार हेतु स्थापना की लागत हेतु वास्तविक आधार पर आवश्यकता नहीं होगी तथा उपभोक्ता/आवेदक द्वारा निम्न निर्धारित प्रभारों का भुगतान किये जाने पर इस लागत को विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा :

सरल क्रमांक	स्वीकृत भार (Sanctioned Load)	विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges)
एक	गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का उपभोक्ता (BPL Consumer)/आवेदक, जिसका भार 500 वाट तक हो	रू. 2,300/–
दो	समस्त उपभोक्ता/आवेदक जिनका भार 500 वाट (w) से अधिक है तथा 3 किलोवाट तक है, जिनमें उपरोक्त सरल क्रमांक (एक) के उपभोक्ता सम्मिलित नहीं है	1 (kW) तक – रू. 2,300/– 1 (kW) से अधिक 2 (kW) तक – रू. 2,400/– 2 (kW) से अधिक 3 (kW) तक – रू. 4,300/–
तीन	3 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 10 किलोवाट (kW) से अनाधिक	3 (kW) से अधिक 4 (kW) तक – रू. 4,400/– 4 (kW) से अधिक 5 (kW) तक – रू. 4,500/– 5 (kW) से अधिक 6 (kW) तक – रू. 4,600/– 6 (kW) से अधिक 7 (kW) तक – रू. 4,700/– 7 (kW) से अधिक 8 (kW) तक – रू. 4,800/– 8 (kW) से अधिक 9 (kW) तक – रू. 4,900/– 9 (kW) से अधिक 10 (kW) तक – रू. 5,000/–
चार	10 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 25 किलोवाट (kW) से अनाधिक	10 (kW) से अधिक 11 (kW) तक – रू. 5,200/– 11 (kW) से अधिक 12 (kW) तक – रू. 5,500/– 12 (kW) से अधिक 13 (kW) तक – रू. 5,700/– 13 (kW) से अधिक 14 (kW) तक – रू. 6,000/– 14 (kW) से अधिक 15 (kW) तक – रू. 6,300/– 15 (kW) से अधिक 16 (kW) तक – रू. 6,500/– 16 (kW) से अधिक 17 (kW) तक – रू. 6,800/– 17 (kW) से अधिक 18 (kW) तक – रू. 7,000/– 18 (kW) से अधिक 19 (kW) तक – रू. 7,300/– 19 (kW) से अधिक 20 (kW) तक – रू. 7,500/– 20 (kW) से अधिक 21 (kW) तक – रू. 7,800/– 21 (kW) से अधिक 22 (kW) तक – रू. 8,000/– 22 (kW) से अधिक 23 (kW) तक – रू. 8,300/–

		23 (kW) से अधिक 24 (kW) तक – रू. 8,500/– 24 (kW) से अधिक 25 (kW) तक – रू. 8,800/–
पांच	25 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 50 किलोवाट (kW) से अनाधिक	रू. 8,800+रू. 420/– प्रति अतिरिक्त किलोवाट या उसके किसी अंश हेतु, जिसके अनुसार संयोजित भार 25 किलोवाट (kW) से अधिक है
छः	50 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 150 किलोवाट (kW) से अनाधिक	रू. 10,000/– प्रति किलोवाट उसके किसी अंश हेतु

4.3 **मूल विनियमों के विनियम 4.2.1 के स्थान पर विनियम 4.2.1 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"4.2.1किसी गैर–घरेलू उपभोक्ता अथवा औद्योगिक उपभोक्ता/आवेदक अथवा विद्युत वाहन आवेशन केन्द्रों या फिर अन्य निम्न दाब उपभोक्ता/आवेदक जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, को विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु स्वीकृत भार/संविदा मांग ली जाएगी जैसा कि इसे वैयक्तिक उपभोक्ता/आवेदक द्वारा घोषित किया गया हो। तथापि, किसी बहु–उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स) में गैर–घरेलू उपभोक्ता(ओं)/आवेदक(ों) को शॉपिंग मॉल को सम्मिलित कर, विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी भार का प्राक्कलन अपार्टमेंट/संकुल (काम्पलेक्स) के भवन के नक्शे के अनुमोदित अभिन्यास के आधार पर भू–खण्डों (प्लॉट) अथवा अपार्टमेंटों के आकार के आधार पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के उपबन्ध के अनुसार करेगा।"

4.4 **मूल विनियमों के विनियम 4.2.2 के स्थान पर विनियम 4.2.2 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"4.2.2उपरोक्त आधार पर प्राक्कलित भार या ऐसे संकुलों (काप्लेक्सों) में आवेदक(ों) द्वारा स्वीकृत भार (Sanctioned Load)/संविदा मांग (contract demand) यथास्थिति का योग, इनमें जो भी अधिक हो, को अपार्टमेंट/संकुल (काम्पलेक्स) को विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की वसूली हेतु माना जाएगा।"

4.5 **मूल विनियमों के विनियम 4.2.4 के स्थान पर विनियम 4.2.4 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"4.2.4(एक) 50 किलोवाट तक के स्वीकृत भार/संविदा मांग हेतु यथास्थिति वितरण ट्रांसफार्मर तथा 0.5 किलोमीटर तक के 11केवी तन्तुपथ विस्तार (लाइन एक्सटेंशन) हेतु, यदि आवश्यक हो तो इसका निष्पादन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं की लागत पर किया जाएगा :

परन्तु यह कि आपूर्ति के अन्तिम बिन्दु या निकासी (टेपिंग) बिन्दु से 0.5 किलोमीटर के परे, उच्च दाब तन्तुपथ विस्तार लागत विद्युत वाहन आवेशन केन्द्रों (चार्जिंग स्टेशनों) को छोड़कर, आवेदक द्वारा वहन की जाएगी। तथापि, जहां वैयक्तिक आवेदकगण जो 5 किलोवाट से अधिक का भार धारित करते हों, विद्युत आपूर्ति के अन्तिम बिन्दु/निकासी बिन्दु से 0.5 मिलोमीटर के परे, उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) विस्तार के इच्छुक हों, वहां वितरण ट्रांसफार्मर की लागत को, केवल विद्युत वाहन आवेशन केन्द्रों को छोड़कर आवेदक(ों) द्वारा वहन किया जाएगा।

(दो) 50 किलोवाट से अधिक के स्वीकृत भार/संविदा मांग हेतु यथास्थिति वितरण ट्रांसफार्मर की लागत को केवल विद्युत वाहन आवेशन केन्द्रों को छोड़कर आवेदक(ों) द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि 0.5 किलोमीटर तक के 11केवी तन्तुपथ (लाइन) विस्तार कार्य का निष्पादन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं की लागत पर किया जाएगा तथा विद्युत प्रदाय के अन्तिम बिन्दु अथवा निकासी बिन्दु से 0.5 किमी से अधिक उच्च दाब तन्तुपथ (लाईन) के विस्तार कार्य की लागत को आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा :

परन्तु यह कि और भी कि विद्युत वाहन आवेशन केन्द्रों हेतु 50 किलोवाट से परे विद्यमान स्वीकृत भार/संविदा मांग, यथास्थिति में वृद्धि के लिये ट्रांसफार्मर की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया जाएगा तथा इसकी लागत आवेदक(ों)/उपभोक्ता(ओं) द्वारा वहन की जाएगी।

उपभोक्ताओं/आवेदकों के लिये यह विकल्प होगा कि वे वांछित उच्च दाब तन्तुपथ विस्तार की स्थापना का कार्य स्वयं अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी की विशिष्टयों (specifications) के अनुसार

प्रचलित दर अनुसूची (Current Schedule of Rates) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राक्कलित लागत के 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा सम्पन्न करे।

4.6 मूल विनियमों के विनियम 4.2.6 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए, अर्थात् :

तालिका में दर्शाये गये शब्द "भार" के स्थान पर सर्वत्र वाक्यांश "प्राक्कलित स्वीकृत भार/संविदा मांग यथास्थिति" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएं।

4.7 मूल विनियमों के विनियम 4.2.6 के पश्चात् निम्न विनियम 4.2.6(क) अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"4.2.6(क) विद्युतीकृत क्षेत्र में विकल्प के रूप में विनियम 4.2.6 में उल्लेखित लागतों तथा प्रभारों के भुगतान के बजाय, उपभोक्ता/आवेदक को निम्न प्रभारों को प्रति किलोवाट आधार पर भार के नवीन संयोजन/वृद्धि का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा करने का विकल्प होगा। इन प्रभारों में सेवा तन्तुपथों की लागत को सम्मिलित किया जाएगा परन्तु ऊर्जा मापयन्त्र (energy meter) की लागत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। निम्न उल्लेखित प्रभारों के भुगतान हेतु विकल्प देने वाले उपभोक्ता/आवेदक भले ही यह 50 किलोवाट भार से अधिक अनुमानित भार हेतु लागू होता है, की आवश्यकता वितरण ट्रांसफार्मर तथा उच्च दाब तन्तुपथ विस्तार हेतु स्थापना की लागत हेतु वास्तविक आधार पर आवश्यकता नहीं होगी तथा उपभोक्ता/आवेदक द्वारा निम्न निर्धारित प्रभारों का भुगतान किये जाने पर इस लागत को विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा :

सरल क्रमांक	यथास्थिति स्वीकृत भार/संविदा मांग (Sanctioned Load/Contract demand, as the case may be)	विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges)
एक	1 किलोवाट (kW) तक (एकल फेज)	रू. 2,800/–
	1 किलोवाट (kW) से अधिक 2 किलोवाट (kW) तक	रू. 3,300/–
	2 किलोवाट (kW) से अधिक 3 किलोवाट (kW) तक	रू. 3,800/–
दो	3 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 10 किलोवाट (kW) से अनाधिक	3 (kW) से अधिक 4 (kW) तक – रू. 5,300/– 4 (kW) से अधिक 5 (kW) तक – रू. 6,800/– 5 (kW) से अधिक 6 (kW) तक – रू. 8,300/– 6 (kW) से अधिक 7 (kW) तक – रू. 9,800/– 7 (kW) से अधिक 8 (kW) तक – रू. 11,400/– 8 (kW) से अधिक 9 (kW) तक – रू. 12,900/–

		9 (kW) से अधिक 10 (kW) तक – रू. 14,400/–
तीन	10 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 25 किलोवाट (kW) से अनाधिक	10 (kW) से अधिक 11 (kW) तक – रू. 18,200/– 11 (kW) से अधिक 12 (kW) तक – रू. 22,000/– 12 (kW) से अधिक 13 (kW) तक – रू. 25,700/– 13 (kW) से अधिक 14 (kW) तक – रू. 29,500/– 14 (kW) से अधिक 15 (kW) तक – रू. 33,300/– 15 (kW) से अधिक 16 (kW) तक – रू. 37,100/– 16 (kW) से अधिक 17 (kW) तक – रू. 40,900/– 17 (kW) से अधिक 18 (kW) तक – रू. 44,700/– 18 (kW) से अधिक 19 (kW) तक – रू. 48,500/– 19 (kW) से अधिक 20 (kW) तक – रू. 52,300/– 20 (kW) से अधिक 21 (kW) तक – रू. 56,100/– 21 (kW) से अधिक 22 (kW) तक – रू. 59,900/– 22 (kW) से अधिक 23 (kW) तक – रू. 63,600/– 23 (kW) से अधिक 24 (kW) तक – रू. 67,400/– 24 (kW) से अधिक 25 (kW) तक – रू. 71,200/–
चार	25 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 50 किलोवाट (kW) से अनाधिक	रू. 71,200+रू. 6,300/– प्रति अतिरिक्त किलोवाट या उसके किसी अंश हेतु, जिसके अनुसार संयोजित भार/संविदा मांग 25 किलोवाट (kW) से अधिक है
पांच	50 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 150 किलोवाट (kW) से अनाधिक	रू. 10,000/– प्रति किलोवाट उसके किसी अंश हेतु

4.8 **मूल विनियमों के विनियम 4.2.9 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए, अर्थात् :**

तालिका में दर्शाये गये शब्द "भार" के स्थान पर सर्वत्र वाक्यांश "प्राक्कलित स्वीकृत भार/संविदा मांग यथास्थिति" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएं।

4.9 **मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 4.2.11 के उपरान्त निम्न विनियम 4.2.11(क) अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"4.2.11(क) विद्युतीकृत क्षेत्र में, विकल्प के तौर पर विनियम 4.2.6 में उल्लेखित लागतों तथा प्रभारों का भुगतान करने के बजाय उपभोक्ता/आवेदक के पास निम्न प्रभारों का भुगतान नवीन संयोजन/भार में वृद्धि का लाभ प्राप्त करने हेतु, आवेदन के साथ प्रति किलोवाट आधार पर करने का विकल्प होगा। इन प्रभारों में सेवा तन्तुपथों (service lines) की लागत सम्मिलित है परन्तु ऊर्जा मापयन्त्र (energy meter) की लागत सम्मिलित नहीं है :

सरल क्रमांक	**यथास्थिति स्वीकृत भार/संशोधित भार (Sanctioned Load/Contract demand, as the case may be)**	**विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges)**
एक	1 किलोवाट (kW) तक	यथास्थिति स्वीकृत भार/संविदा मांग के

दो	3 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 10 किलोवाट (kW) से अनाधिक	अनुसार रू. 11,500/– प्रति किलोवाट
तीन	10 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 25 किलोवाट (kW) से अनाधिक	
चार	25 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 50 किलोवाट (kW) से अनाधिक	
पांच	25 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 80 किलोवाट (kW) से अनाधिक	यथास्थिति स्वीकृत भार/संविदा मांग के अनुसार रू. 13,500/– प्रति किलोवाट
छः	80 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 150 किलोवाट (kW) से अनाधिक	यथास्थिति स्वीकृत भार/संविदा मांग के अनुसार रू. 14,500/– प्रति किलोवाट

5. "अनुलग्नक एक : मापन तथा अन्य प्रभारों की अनुसूची" में संशोधन

विद्यमान मद सोलह के उपरान्त एक नवीन मद सत्रह अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

'सत्रह . उपभोक्ताओं हेतु जांच विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र (Check Power Quality Meter) की स्थापना हेतु प्रभार

उपभोक्ताओं की स्थापना पर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र/विश्लेषक के भाड़े की वसूली हेतु तथा इसकी स्थापना हेतु विद्युत गुणवत्ता सत्यापन प्रभारों (Power Quality Verification Charges-PQVC) हेतु उनके द्वारा अनुरोध किये जाने पर कार्रवाई जैसा कि इसका प्रावधान मप्रविनिआ (विद्युत गुणवत्ता), विनियम 2025 के विनियम 2.2.18 में किया गया है हेतु आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.

Bhopal, the 27th March 2025

No 571/MPERC/2025 In exercise of the powers under Section 181 read with Section 45(3)(b) and Section 46 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), and all other powers enabling in that behalf, Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) Regulations (Revision-II), 2022 notified on 31.05.2022 herein after referred to as the **'Principal Regulations'** namely: -.

FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (RECOVERY OF EXPENSES AND OTHER CHARGES FOR PROVIDING ELECTRIC LINE OR PLANT USED FOR THE PURPOSE OF GIVING SUPPLY) REGULATIONS (REVISION-II), 2022

1. Short Title and Commencement

(1) These Regulations shall be called the 'Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-II) Regulations, 2022 (First amendment) {ARG-31(II)(i) of 2025}.

(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Amendment to Regulation 2:

2.1 A new Regulation 2.1 (c1) shall be inserted after existing Regulation 2.1 (c) of the Principal Regulations, namely:

"2.1 (c1) **"Consumer"** means any person who is supplied with electricity for his own use by a licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Act or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a licensee, the Government or such other person, as the case may be. A consumer is:

(i) "Low Tension Consumer (LT Consumer) if he obtains supply from the licensee at Low Voltage:

(ii) "High Tension Consumer (HT Consumer) if he obtains supply from the licensee at High Voltage:

(iii) "Extra High-Tension Consumer (EHT Consumer) if he obtains supply from the licensee at Extra High Voltage;

2.2 A new Regulation 2.1 (h1) shall be inserted after existing Regulation 2.1 (h) of the Principal Regulations, namely:

"**2.1 (h1) "Electrified area"** shall mean any geographical area or part thereof which has distribution system in the vicinity of applicants of that area to cater to the demand of such applicant;"

2.3 A new Regulation 2.1 (u1) shall be inserted after existing Regulation 2.1 (u) of the Principal Regulations, namely:

"**2.1 (u1) "Sanctioned load"**, shall have the same meaning as defined in Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021, as amended from time to time."

2.4 Regulation 2.1 (z) of the Principal Regulations shall be amended as follows: -

Words "Connected load" shall be substituted by the words "Sanctioned load/ Contract demand, as the case may be," in Regulation 2.1 (z) of the Principal Regulations.

3. Amendment to Regulation 3:

3.1 Regulation 3.2 of the Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation 3.2, namely: -

"3.2 The Distribution Licensee shall recover in advance the charges approved by the Commission through these Regulations only, from the applicant/ consumer for the purpose of giving supply of electricity to applicant or for enhancement of sanctioned load/Contract demand of the existing LT connection and for enhancement of Contract Demand for existing HT connection, as the case may be. Power factor for conversion of load in kW to kVA and vis-e-versa shall be taken as 0.8 in LT connections and 0.9 in HT connections. Service of connection/ enhancement of load shall be allowed only on receipt of these charges in full."

3.2 Regulation 3.3 of the Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation 3.3, namely: -

"3.3 In case of enhancement of sanctioned load/contract demand, as the case may be, for LT connections and contract demand for HT connections, the Supply Affording Charges will be equal to charges applicable for total sanctioned load/contract demand, as the case may be, for LT connections and total Contract Demand for HT connections less charges applicable to existing sanctioned load/Contract Demand prior to enhancement under respective slabs as provided for in these Regulations:

Provided that in case the consumer desires to switch over to higher voltage level due to increase in requisitioned sanctioned load/ contract demand beyond permissible limit at particular voltage level as per Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021 as amended from time to time or desires to switch over to higher voltage having existing contract demand eligible for higher voltage load limits, such consumer shall be required to pay Supply Affording Charges for full sanctioned load/ contract demand at that higher voltage."

3.3 Regulation 3.4 of the Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation 3.4, namely: -

"3.4 The estimation of load for LT consumers/applicants, wherever required, under sanctioned load based tariff, shall be done by the Distribution Licensee on the same basis as has been provided in the applicable Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021, notified by the Commission, as amended from time to time, subject to the condition that the maximum limit of total requisitioned load at LT shall not be more than the limits specified for LT connection in the applicable Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021, as amended from time to time. However, in case of LT consumers under demand-based tariff and all HT consumers, the contract demand shall be as applied by the consumer / applicant."

4. Amendment to Regulation 4:

4.1 A new Regulation 4.1.4 (A) shall be inserted after existing Regulation 4.1.4 of the Principal Regulations, namely: -

"4.1.4 (A) In the electrified area, as an alternative, instead of paying costs and charges mentioned in Regulations 4.1.1 to 4.1.4 above, the consumer/applicant shall have an option to deposit following charges on per kW basis with the application for availing new connection/enhancement of load. These charges are inclusive of cost of service lines but excluding the cost of the energy meter. The consumer/applicant opting for payment of charges mentioned below shall not be required to pay for infrastructure expenses on actual basis and the extension of infrastructure in such case shall be made by Discom once the charges stipulated below are paid by the consumer/applicant: -

Sl. No.	Sanctioned Load	Supply Affording Charges
i.	BPL consumer/applicant with load up to 500 W	Rs. 2300/-
ii.	All consumers/applicants with load above 500 W and up to 3 kW excluding those in (i) above	Upto 1kW - Rs. 2600/- Above 1 kW upto 2 kW- 3000/- Above 2 kW upto 3 kW- 3300/-
iii.	Above 3 kW but not exceeding 10 kW	Above 3 kW upto 4 kW- 4300/- Above 4 kW upto 5 kW- 5300/- Above 5 kW upto 6 kW- 6300/- Above 6 kW upto 7 kW- 7300/- Above 7 kW upto 8 kW- 8300/- Above 8 kW upto 9 kW- 9300/- Above 9 kW upto 10 kW- 10300/-
iv.	Above 10 kW but not exceeding 25 kW	Above 10 kW upto 11 kW- 12800/- Above 11 kW upto 12 kW- 15400/- Above 12 kW upto 13 kW- 17900/- Above 13 kW upto 14 kW- 20400/- Above 14 kW upto 15 kW- 22900/- Above 15 kW upto 16 kW- 25400/- Above 16 kW upto 17 kW- 28000/- Above 17 kW upto 18 kW- 30500/- Above 18 kW upto 19 kW- 33000/- Above 19 kW upto 20 kW- 35500/-

		Above 20 kW upto 21 kW- 37800/- Above 21 kW upto 22 kW- 40300/- Above 22 kW upto 23 kW- 42800/- Above 23 kW upto 24 kW- 45300/- Above 24 kW upto 25 kW- 47900/-
v.	Above 25 kW but not exceeding 50 kW	Rs. 47900/- + Rs. 4200/- per addl. kW or part thereof by which the connected load exceeds 25 kW
vi	Above 50 kW but not exceeding 150 kW	Rs. 10,000/- per kW or part thereof

4.2 A new Regulation 4.1.12 shall be inserted after existing Regulation 4.1.11 of the Principal Regulations, namely: -

"4.1.12 In the electrified area, as an alternative, instead of paying costs and charges mentioned in Regulations 4.1.7, the consumer/applicant shall have an option to deposit following charges on per kW basis with the application for availing new connection/enhancement of load, after development of infrastructure by the Applicant(s)-as mentioned in Regulations 4.1.6. These charges are inclusive of cost of service lines but excluding cost of the energy meter. The consumer/applicant opting for payment of charges mentioned below, even if it applies for estimated load above 50 kW load, shall not be required to pay cost of installation of Distribution Transformer and HT line extension on actual basis and this cost shall be borne by the Discom once the charges stipulated below are paid by the consumer/applicant: -

Sl. No.	Sanctioned Load	Supply Affording Charges
i.	BPL consumer/applicant with load up to 500 W	Rs. 2300/-
ii.	All consumers/applicants with load above 500 W and up to 3 kW excluding those in (i) above	Upto 1kW - Rs. 2300/- Above 1 kW upto 2 kW- 2400/- Above 2 kW upto 3 kW- 4300/-
iii.	Above 3 kW but not exceeding 10 kW	Above 3 kW upto 4 kW- 4400/- Above 4 kW upto 5 kW- 4500/- Above 5 kW upto 6 kW- 4600/- Above 6 kW upto 7 kW- 4700/- Above 7 kW upto 8 kW- 4800/- Above 8 kW upto 9 kW- 4900/- Above 9 kW upto 10 kW- 5000/-
iv.	Above 10 kW but not exceeding 25 kW	Above 10 kW upto 11 kW- 5200/- Above 11 kW upto 12 kW- 5500/- Above 12 kW upto 13 kW- 5700/- Above 13 kW upto 14 kW- 6000/- Above 14 kW upto 15 kW- 6300/- Above 15 kW upto 16 kW- 6500/- Above 16 kW upto 17 kW- 6800/- Above 17 kW upto 18 kW- 7000/- Above 18 kW upto 19 kW- 7300/- Above 19 kW upto 20 kW- 7500/- Above 20 kW upto 21 kW- 7800/- Above 21 kW upto 22 kW- 8000/- Above 22 kW upto 23 kW- 8300/-

		Above 23 kW upto 24 kW- 8500/- Above 24 kW upto 25 kW- 8800/-
v.	Above 25 kW but not exceeding 50 kW	Rs. 8800/- + Rs. 420/- per addl. kW or part thereof by which the connected load exceeds 25 kW
vi	Above 50 kW but not exceeding 150 kW	Rs. 10,000/- per kW or part thereof

4.3 Regulation 4.2.1 of the Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation 4.2.1, namely: -

"4.2.1. To provide power supply to a Non-Domestic or an Industrial consumer/applicant or to EV charging Stations or any other LT consumer/applicant not covered elsewhere, the Sanctioned load/Contract demand, as the case may be, shall be taken as declared by the individual consumer/applicant. However, for providing power supply to the non-Domestic consumer(s)/applicant(s) in a Multi-consumer Complex including shopping mall, the Distribution Licensee shall estimate the load on the basis of size of plots or apartments in the approved layout of the Building Plan of the Apartment/ Complex as per the provision of Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021 as amended from time to time."

4.4 Regulation 4.2.2 of the Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation 4.2.2, namely: -

"4.2.2. The estimated load on the above basis or the sum of the sanctioned load/Contract demand, as the case may be, declared by the Applicant(s) in such complexes, whichever is higher, shall be considered for recovering charges for providing power supply to the Apartment/Complex."

4.5 Regulation 4.2.4 of the Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation 4.2.4, namely: -

"4.2.4 (i) For sanctioned load/Contract demand, as the case may be, up to 50 kW, installation of Distribution Transformer and 11 kV line extension up to 0.5 km, if required, shall be done by the Distribution Licensee at its cost:

Provided that cost towards HT line extension beyond 0.5 km from last point, of supply or tapping shall be borne by the Applicant except for EV Charging Stations. However, in case of individual Applicant(s) having load above 5 kW requiring HT line extension beyond 0.5 km from last point of supply or tapping, the cost of Distribution Transformer shall also be borne by the Applicant(s) except for EV Charging Stations.

(ii) For sanctioned load/contract demand, as the case may be, above 50 kW, the cost of Distribution Transformer shall be borne by the Applicant(s) except for EV Charging Stations. However, 11 kV line extension up to 0.5 km, shall be done by the Distribution Licensee at its cost and cost towards HT line extension beyond 0.5 km from last point of supply or tapping shall be borne by the Applicant:

Provided also that for enhancement of existing Sanctioned load/Contract demand, as the case may be, beyond 50 kW except for EV Charging Stations, additional capacity of the transformer shall be built and the cost shall be

borne by the Applicant(s)/Consumer(s):

The consumers/applicants shall also have the option either to lay the required HT Line extension on their own through a licensed contractor as per the specifications of the Licensee by paying supervision charges @ 5% of the cost of the work estimated by. the Licensee as per Current Schedule of Rates."

4.6 Regulation 4.2.6 of the Principal Regulations shall be amended as follows, namely: -

Words "connected load" appearing in the table shall be replaced by the words "sanctioned load/contract demand, as the case may be.

4.7 Following Regulation 4.2.6 (A) shall be inserted after existing Regulation 4.2.6 of the Principal Regulations, namely: -

"4.2.6 (A) in the electrified area, as an alternative, instead of paying costs and charges mentioned in Regulation 4.2.6, the consumer/applicant shall have an option to deposit following charges on per kW basis with application for availing new connection/enhancement of load. These charges are inclusive of cost of service lines excluding cost of the energy meter. The consumers/applicants opting for payment of charges mentioned below, even if it applies for estimated load/contract demand, as the case may be, above 50 kW load, shall not be required to pay cost of installation of Distribution Transformer and HT line extension on actual basis and this cost shall be borne by the Discom once the charges stipulated below are paid by the consumer/applicant: -

Sl. No.	Sanctioned Load/Contract demand as the case may be	Supply Affording Charges
i.	Up to 1 kW (single phase) Above 1 kW Up to 2 kW Above 2 kW Up to 3 kW	Rs. 2800/- Rs. 3300/- Rs. 3800/-
ii.	Above 3 kW but not exceeding 10 kW	Above 3 kW upto 4 kW- 5300/- Above 4 kW upto 5 kW- 6800/- Above 5 kW upto 6 kW- 8300/- Above 6 kW upto 7 kW- 9800/- Above 7 kW upto 8 kW- 11400/- Above 8 kW upto 9 kW-.12900/- Above 9 kW upto 10 kW- 14400/-
iii.	Above 10 kW but not exceeding 25 kW	Above 10 kW upto 11 kW- 18200/- Above 11 kW upto 12 kW- 22000/- Above 12 kW upto 13 kW- 25700/- Above 13 kW upto 14 kW- 29500/- Above 14 kW upto 15 kW- 33300/- Above 15 kW upto 16 kW- 37100/- Above 16 kW upto 17 kW- 40900/- Above 17 kW upto 18 kW- 44700/- Above 18 kW upto 19 kW- 48500/- Above 19 kW upto 20 kW- 52300/- Above 20 kW upto 21 kW- 56100/- Above 21 kW upto 22 kW- 59900/- Above 22 kW upto 23 kW- 63600/- Above 23 kW upto 24 kW- 67400/- Above 24 kW upto 25 kW- 71200/-

iv.	Above 25 kW but not exceeding 50 kW	Rs. 71200/- + Rs. 6300/- per addl. kW or part thereof by which the connected load/Contract demand as the case may be exceeds 25 kW
v.	Above 50 kW but not exceeding 150 kW	Rs. 10,000/- per kW or part thereof"

4.8 Regulation 4.2.9 of the Principal Regulations shall be amended as follows, namely: -

Words "connected load" appearing in the table shall be replaced by the words "sanctioned load/contract demand, as the case may be.

4.9 following Regulation 4.2.11 (A) shall be inserted after existing Regulation 4.2.11 of the Principal Regulations, namely: -

"4.2.11 (A) In the electrified area, as an alternative, instead of paying costs and charges mentioned in Regulations 4.2.6, the consumer/applicant shall have an option to deposit following charges on per kW basis with application for availing new connection/enhancement of load. These charges are inclusive of cost of service lines excluding cost of the energy meter: -

Sl. No.	Sanctioned Load/Contract demand as the case may be	Supply Affording Charges
i.	Up to 3 kW	Rs. 11500 per kW of sanctioned load/contract demand as the case may be
ii.	Above 3 kW but not exceeding 10 kW	
iii.	Above 10 kW but not exceeding 25 kW	
iv.	Above 25 kW but not exceeding 50 kW	
v.	Above 50 kW but not exceeding 80 kW	Rs. 13500 per kW of sanctioned load/contract demand as the case may be
vi.	Above 80 kW but not exceeding 150 kW	Rs. 14500 per kW of sanctioned load/contract demand as the case may be

5. Amendment to "Annexure I: SCHEDULE OF OTHER CHARGES"

Item XVII shall be inserted after existing item XVI, namely:

"XVI Charges for installation of check power quality meter for the consumers

Power Quality Verification Charges (PQVC) towards rent and installation of Power Quality Meter/ Analyzer on consumers installation on their request as provided in Regulation 2.2.18 of MPERC (power quality) Regulations 2025 shall be issued separately through an order."

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.